अनुदान संख्या 26 – विदेश मंत्रालय
GRANT No. 26 - MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged-*			*3,00*	..	*-3,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*3,00*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	16014,40,00				
				16110,42,00	13223,35,26	-2887,06,74
पूरक	Supplementary	96,02,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2383,37,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
मूल	Original	1332,28,00				
				1377,29,00	1142,48,52	-234,80,48
पूरक	Supplementary	45,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					193,13,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹3.00 लाख* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः अभ्यर्पित किया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹288706.74 लाख) सितंबर, 2020 तथा फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹9602.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹3.00 lakhs* remained wholly unutilized under three heads and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹288706.74 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹9602.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and constituted 18 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services				
मू.	O.	52095.00			
पू.	S.	1500.00	43228.00	39690.55	-3537.45
पु.	R.	-10367.00			
मुख्य शीर्ष "2061"	Major Head "2061"				
विदेश मामले	External Affairs				
मू.	O.	887607.00			
पू.	S.	8101.00	809706.00	777307.78	-32398.22
पु.	R.	-86002.00			
मुख्य शीर्ष "3605"	Major Head "3605"				
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Co-operation with Other Countries				
मू.	O.	661737.00			
पू.	S.	1.00	519770.00	505336.93	-14433.07
पु.	R.	-141968.00			

(I) ₹10153.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹10000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "3605" – "अन्य देशों के साथ सहयोग – चाहबहार पत्तन" के अंतर्गत – संविदा कार्यान्वयन मुद्दे तथा यूरोपीय विक्रेताओं की कम भागीदारी के कारण उपकरणों की अधिप्राप्ति में विलंब के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹10153.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under six heads; of these ₹10000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3605" - "Co-operation with Other Countries - Chahbahar Port" - due to delay in equipment procurement owing to Contract activation issue and poor participation by European vendors.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – विदेश मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹52094.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹53594.00 लाख किया गया। तथापि, ₹13903.45 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कम दौरे किए जाने, कोविड–19 महामारी के कारण कम विज्ञापन तथा मीडिया कार्यकलाप किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2061" – "मनोरंजन प्रभार – उच्चस्तरीय शिष्टमंडल" के अंतर्गत – ₹21200.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹8100.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹29300.00 लाख किया गया गया जो, तथापि, कोविड–19 महामारी के कारण महामहिम राष्ट्रपति के कम दौरे होने तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए कम शिष्टमंडल भेजे जाने के कारण ₹2373.91 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "2061" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "प्रशिक्षण – विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान" – ₹1793.07 लाख की बचत (₹2595.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यकलाप किए जाने के कारण हुई।

(खा) "दूतावास तथा मिशन" –

(क) "प्रबंधन और स्थापना" – ₹17525.86 लाख की बचत (₹295800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, कोविड–19 महामारी के कारण कम कार्यकलाप किए जाने, तथा वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "मिशनों के विशेष कार्यकलाप" – ₹2163.12 लाख की बचत (₹3605.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण गणतंत्र दिवस तथा अन्य कार्यकलाप कम किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Ministry of External Affairs" - the original provision of ₹52094.00 lakhs was augmented to ₹53594.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1500.00 lakhs. However, there was a saving of ₹13903.45 lakhs (including supplementary grant) - due to less tours undertaken, less advertising and media activities owing to COVID-19 pandemic and cut imposed by Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "2061" - "Entertainment Charges - High Level Delegation" - the original provision of ₹21200.00 lakhs was augmented to ₹29300.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹8100.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2373.91 lakhs - due to less visits by Hon'ble Vice President owing to COVID-19 pandemic and less delegation to UN General Assembly.

(IV) Under Major Head "2061" - savings occurred under the following heads :-

(A) "Training - Foreign Service Training Institute" - saving of ₹1793.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2595.00 lakhs) was due to less training and other activities owing to COVID-19 pandemic.

(B) "Embassies and Missions" -

(a) "Management and Establishment" - saving of ₹17525.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹295800.00 lakhs) was due to less tours undertaken, less activities owing to COVID -19 pandemic and cut imposed by Ministry of Finance.

(b) "Special Activities of the Missions" - saving of ₹2163.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3605.00 lakhs) was due to less Republic Day and other activities owing to COVID -19 pandemic.

(गा) "विशेष राजनयिक व्यय – विवेकाधीन व्यय" – ₹19960.82 लाख की बचत (₹280000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

(C) "Special Diplomatic Expenditure - Discretionary Expenditure" - saving of ₹19960.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹280000.00 lakhs) was due to cut imposed by Ministry of Finance.

(घा) "पासपोर्ट तथा उत्प्रवास" –

(क) "केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन" – ₹38482.90 लाख की बचत (₹117122.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने, कम कार्यकलाप किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के संचालन के लिए भुगतान" – ₹2631.83 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ड.) "स्वायत्त निकाय तथा अन्य संस्थाओं को सहायता – भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद" – ₹7250.00 लाख की बचत (₹29000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

(D) "Passport and Emigration" -

(a) "Central Passport Organization" - saving of ₹38482.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹117122.00lakhs) was due to less tours undertaken, less activities owing to COVID-19 pandemic and cut imposed by Ministry of Finance.

(b) "Payment to States/Union Territories for Administration of Central Acts and Regulations" - saving of ₹2631.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs); and

(E) "Assistance to Autonomous Bodies and Other Institutions - Indian Council of Cultural Relations" - saving of ₹7250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to cut imposed by Ministry of Finance.

(चा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" –

(क) "दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय" – ₹26372.40 लाख की बचत (₹32500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय" – ₹5000.00 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण कम निर्माण कार्यकलाप किए जाने के कारण हुईं।

(F) "International Co-operation" -

(a) "South Asian University" - saving of ₹26372.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32500.00 lakhs); and

(b) "Nalanda International University" - saving of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less construction activity owing to COVID-19 pandemic.

(ग) "भारतीय प्रवासियों के साथ कार्यक्रम" – ₹4242.59 लाख की बचत (₹6900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) "Engagement with Indian Diaspora" - saving of ₹4242.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6900.00 lakhs); and

(घ) "विशेष कार्यक्रम" – ₹707.74 लाख की बचत (₹3576.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(d) "Special Programme" - saving of ₹707.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3576.00lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण प्रायोजित गतिविधियों को मूर्त रूप न दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-materialization of planned activities owing to COVID-19 pandemic and cut imposed by Ministry of Finance.

(ङ) "बिम्सटेक सचिवालय" – ₹1193.72 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(e) "BIMSTEC Secretariat" - saving of ₹1193.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs); and

(छा) "अन्य व्यय – अन्य स्कीमें" – ₹587.23 लाख की बचत (₹1001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(G) "Other Expenditure - Other Schemes" - saving of ₹587.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1001.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

Saving under the above two heads were due to cut imposed by Ministry of Finance.

(V) मुख्य शीर्ष "3605" – "अन्य देशों के साथ सहयोग" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(V) Under Major Head "3605" - "Co-operation with other countries" - savings occurred under the following heads:-

(का) "बांग्लादेश को सहायता" – ₹2202.01 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(A) "Aid to Bangladesh" - saving of ₹2202.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs);

(खा) "भूटान को सहायता" – ₹49384.60 लाख की बचत (₹205237.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(B) "Aid to Bhutan" - saving of ₹49384.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹205237.00lakhs);

(गा) "श्रीलंका – अन्य सहायता कार्यक्रम" – ₹15519.26 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(C) "Sri Lanka - Other Aid Programmes" - saving of ₹15519.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs);

(घा) “मालदीव को सहायता” – ₹13980.57 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(डा.) “आईटीईसी कार्यक्रम” – ₹13451.39 लाख की बचत (₹22000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(चा) “सार्क कार्यक्रम” – ₹722.61 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(छा) “अफ्रीकी देशों को सहायता” – ₹12372.02 लाख की बचत (₹35000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(जा) “बहुपक्षीय आर्थिक संबंध” – ₹1217.32 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(झा) “अफगानिस्तान को सहायता” – ₹5117.76 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ञा) “मॉरीशस को सहायता” – ₹37293.65 लाख की बचत (₹102500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(टा) “सेशेल्स को सहायता” – ₹4971.08 लाख की बचत (₹14000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण चालू परियोजनाओं की कार्यान्वयन प्रगति के आधार पर कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुईं।

(ठा) “आपदा राहत के लिए सहायता” – ₹1312.58 लाख की बचत (₹2000.00 लाख स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व के विभिन्न भागों में आई आपदा के आधार पर वास्तविक आवश्यकता के कारण हुई।

(D) “Aid to Maldives” - saving of ₹13980.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs);

(E) “ITEC Programme” - saving of ₹13451.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22000.00 lakhs);

(F) “SAARC Programme” - saving of ₹722.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00lakhs) ;

(G) “Aid to African Countries” - saving of ₹12372.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35000.00 lakhs);

(H) “Multilateral Economic Relation” - saving of ₹1217.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00lakhs);

(I) “Aid to Afghanistan” - saving of ₹5117.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00lakhs);

(J) “Aid to Mauritius” - saving of ₹37293.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹102500.00 lakhs); and

(K) “Aid to Seychelles” - saving of ₹4971.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00lakhs).

Savings under the above eleven heads were due to requirement of less funds based on implementation progress of ongoing projects owing to COVID-19 pandemic.

(L) “Aid for Disaster Relief” - saving of ₹1312.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00lakhs) was due to actual requirement based on disaster in various parts of the globe.

(डा) "लेटिन अमरीकी देशों को सहायता" – ₹822.82 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण चिकित्सा परिवहन बिलों को प्रस्तुत करने में विलंब के कारण हुई।

(M) "Aid to Latin American Countries" - saving of ₹822.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00lakhs) was due to delay in submission of medicine transportation bills owing to COVID-19 pandemic.

(VI) उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1006.60 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत से 91 प्रतिशत थीं।

(VI) Under three heads savings of ₹1006.60 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 28 percent to 91 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

3.(I) The above saving were partly offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2061" –

(क) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" –

(i) "अन्य" अंतर्राष्ट्रीय संगठन" – ₹848.17 लाख का अधिक व्यय (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शंघाई सहयोग संगठन तथा जी–77 सचिवालय के लिए भारत के वार्षिक अंशदान के कारण हुआ।

(ii) "संयुक्त राष्ट्र संगठन" – ₹12341.97 लाख का अधिक व्यय (₹32000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शांति स्थापना के लिए सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी), संयुक्त राष्ट्र महिला के लिए अंशदान दिए जाने और संयुक्त राष्ट्र बजट के लिए भारत के निर्धारित अंशदान के कारण हुआ।

(A) Major Head "2061" -

(a) "International Co-operation" -

(i) "Other International Organizations" - excess of ₹848.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to India's annual contribution towards Shanghai Co-operation Organizaion and G-77 Secretariat.

(ii) "United Nations Organization" - excess of ₹12341.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32000.00 lakhs) was due to contribution towards Information Communication Technology (ICT) for peacekeeping, UN Women and India's Assessed contribution to UN Regular budget.

(खा) मुख्य शीर्ष "3605" – "अन्य देशों के साथ सहयोग" –

(क) "नेपाल को सहायता" – ₹7910.20 लाख का अधिक व्यय (₹80000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूकंप पुनर्निमाण, तराई की सड़कों और भारत–नेपाल क्रोस बोर्डर रेल लिंक के लिए

(B) Major Head "3605" - "Co-operation with Other Countries" -

(a) "Aid to Nepal" - excess of ₹7910.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹80000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Earthquake

अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "म्यामार को सहायता" – ₹4705.98 लाख का अधिक व्यय (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केलेवा–यार्गी रोड, कलादान वाटरवेज तथा सड़क भाग के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹388.44 लाख का अधिक व्यय हुआ जो कि स्वीकृत प्रावधान का 49 प्रतिशत था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹23480.48 लाख) सितंबर, 2020 तथा फरवरी 2021 में प्राप्त किए गए ₹4501.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

reconstruction, Tarai Roads and India-Nepal cross Border Rail Links.

(b) "Aid to Myanmar" - excess of ₹4705.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Kelewa-Yargi Road, Kaladan Water ways and Road component.

(II) Under one head excess of ₹388.44 lakhs occurred constituting 49 percent of the sanctioned provision.

4. In the capital section of the grant, the overall savings (₹23480.48 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹4501.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021and constituted 17 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	35000.00			
पू.	S.	4500.00			
पु.	R.	-10000.00	29500.00	25655.73	-3844.27

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - अधिक व्यय+ Excess+ (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216"	Major head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	15000.00			
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	20000.00	35001.00	34677.68	-323.32
मुख्य शीर्ष "7605"	Major head "7605"				
विदेशी सरकारों को अग्रिम	Advances to Foreign Governments				
मू.	O.	83228.00	53915.00	53915.11	+0.11
पु.	R.	-29313.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4059" – "अन्य भवन – निर्माण – प्रवासी भारतीय केन्द्र" के अंतर्गत – ₹4500.00 लाख का पूरक अनुमोदन प्राप्त करके ₹4500.00 लाख की निधियां मुहैया कराई गई थीं जो, तथापि, जी–20 शिखर सम्मेलन के स्थगन और सुषमा स्वराज भवन के उन्नयन कार्य का युक्तकरण किए जाने की वजह से ₹895.15 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(I) Under Major Head "4059" - "Other Buildings - Construction - Parvasi Bhartiya Kendra" - funds of ₹4500.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant of ₹4500.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹895.15 lakhs -due to adjournment of G-20 summit and rationalization of up-gradation work of Sushma Swaraj Bhawan.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" – "अन्य भवन – निर्माण – विदेश मामले" के अंतर्गत – ₹12949.12 लाख की बचत (₹35000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न देशों में कोविड–19 महामारी के कारण व्यय की धीमी रफ्तार के चलते हुई।

(II) Under Major Head "4059" - "Other Buildings - Construction - External Affairs" - saving of ₹12949.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35000.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure owing to COVID-19 pandemic in various countries.

(III) मुख्य शीर्ष "7605" – "भूटान सरकार को ऋण – भूटान में चालू जल–विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण" के अंतर्गत – ₹29300.00 लाख की बचत (₹80200.00 लाख के

(III) Under Major Head "7605" - "Loans to Govt. of Bhutan - Loans for on-going Hydro Power Projects in Bhutan" - saving of ₹29300.00 lakhs (against the

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की गति धीमी होने, मांगदेच्छु जल विद्युत परियोजनों के संशोधित लागत अनुमानों को अनुमोदन न मिलने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹20000.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "4216" – सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवासन – विदेश मामले" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹19676.68 लाख था।

sanctioned provision of ₹80200.00lakhs) was due to slow progress of work owing to COVID-19 pandemic, non-approval of revised cost estimates of Mangdechhu Hydroelectric project and cut imposed by Ministry of Finance.

5. The above savings were partly (₹20000.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - External Affairs". Actual excess, however, was ₹19676.68 lakhs.